लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Proj/56/18/669 दिनांक : 15.09.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति ।

विषयः- **LSBA के IMIS पर भुगतान हेतु उपलब्ध योग्य लाभार्थियों (Geo Tagged) में से अयोग्य लाभार्थियों के निरस्तीकरण (रद्द) करने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंगः- BRLPS – LSBA/Proj/56/18/411, दिनांक – 13.08.2018

महाशय,

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छता योजना/ स्वयं/अन्य अन्तर्गत निर्मित शौचालयों का डाटा इंट्री स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के MIS पर C01 किये जाने के उपरांत संबंधित IHHL का जियो टैंगिग किया जाता है एवं जिला स्तर पर जिओ टैंगिग के Approval के उपरांत संबंधित IHHL का LSBA के MIS पर प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के लॉगिन पर उपलब्ध होता है ।

विदित है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियानके MIS पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु वैसे ही IHHL उपलब्ध होते है, जिनके संबंध में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के MIS पर C01 Module में IHHL की प्रविष्टि निम्न श्रेणी मे किया गया है:-

1. Toilet construction from= SBM Fund
2. Toilet construction from= Non-SBM Fund → Is constructed from Non-SBM =other Scheme→ Non SBM other Scheme Name= LSY

साथ ही, जिनका जिओ टैंगिग जिला स्तर से Approve है एवं Financial Update नहीं किया गया है।

इस क्रम में राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के MIS एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के MIS को Synchronize कर दिया गया जिसमें प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के MIS पर दोबारा डाटा इंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त Synchronization प्रारम्भ किये जाने के उपरांत भी प्रोत्साहन राशि भुगतान में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अब यह बतलाया जा रहा है कि भुगतान हेतु उपलब्ध IHHL में से बहुत सारे IHHL को या तो पूर्व में भुगतान किया जा चुका है या भुगतान योग्य नहीं है। यह स्थिति स्पष्टत: प्रखण्ड स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के MIS पर इंट्री करने के क्रम में गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण हो रहा है।

अत: प्रखण्डों एवं जिलों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उपरोक्त गलत प्रविष्टि में सुधार हेतु LSBA के MIS पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध IHHL में से वैसे IHHL जिसे अब प्रखण्ड स्तर पर समीक्षोपरांत भुगतान नहीं किया जा सकता है, को सूचीबद्ध एवं कारण दर्ज कर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के MIS पर प्रखण्ड स्तर पर (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के लॉगिन में) अद्यतन लाभार्थी का विकल्प दिया जा रहा है, जिसे Update एवं Approve करने के उपरांत भुगतान हेतु योग्य IHHL के सूची से निरस्त किया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया में प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु निरस्त किये गये IHHL को किसी भी स्थिति में पुन: भुगतान नहीं किया जायेगा।

निदेशानुसार LSBA IMIS पर ऐसे योग्य लाभार्थियों की पहचान एवं भुगतान के निरस्तीकरण (रद्द) करने के लिए LSBA IMIS में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है –

1. प्रखंड स्तर पर - BLKADM एवं BPM के Dashboard के मेनू पर Update Beneficiary को जोड़ा गया है, जिसमे Update reason for No Incentive Payment के ड्राप डाउन में उपयुक्त विकल्प या कारण का चयन कर उस लाभार्थी की जानकारी को Update करना है ।

2. उपर्युक्त लॉगइन से लाभार्थी की जानकारी Update होने के बाद लाभार्थी की जानकारी DDC या DSTADM (DM) के लॉग इन पर approval हेतु उपलब्ध होगा, इस स्तर पर approval के बाद सम्बंधित लाभार्थी की जानकारी योग्य लाभार्थी (Geo Tagged) की सूची से हटा दिया जायेगा | शेष बचे हुए योग्य लाभार्थी (Geo Tagged) का प्रोत्साहन राशि भुगतान प्रासंगिक आदेश के अनुसार नियमानुसार सम्पादित किया जायेगा ।

3. भविष्य में इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका),जिला समन्वयक एवं जिला स्वच्छ भारत प्रेरक को अपने स्तर से निर्देश दिया जाय कि इसकी पुनरावृति किसी भी स्तर पर नहीं की जाए ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के अलोक में LSBA MIS में उपलब्ध नये प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी अयोग्य लाभार्थियों की सूचना अद्यतन कर जिला स्तर पर अनुमोदित करे तथा LSBA -MIS पर उपलब्ध शेष भुगतान हेतु योग्य लाभार्थियों को यथाशीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

15/9/18

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/PROJ/56/18/669 दिनांक : 15.09.18

प्रतिलिपः- सभी जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः- सभी जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः- सभी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/18

(राजीव कुमार सिंह)